भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2230

उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2026

15 श्रावण, 1948 (शक)

फुटबॉल का संवर्धन

2230 श्री पी. विल्सनः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान फुटबॉल के संवर्धन तथा विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का योजना-वार, राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा समर्थित फुटबॉल अवसंरचना, अकादमियों, उच्च निष्पादन केंद्रों तथा जमीनी स्तर के विकास कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन्नत अवसंरचना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रतिभा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की फीफा रैंकिंग में सुधार लाने तथा फीफा विश्व कप हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता (एएनएसएफ) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को जोकि फुटबॉल के मामले में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि भारत में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन, विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी, भारतीय और विदेशी कोच के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/टीमों का प्रशिक्षण/कोचिंग, पौष्टिक संतुलित आहार, उपकरण, अत्याधुनिक अवसंरचना, आवास, यात्रा सुविधाएं, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा सहायता, खेल किट आदि उपलब्ध कराए जा सकें।

एएनएसएफ स्कीम के अंतर्गत धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित नहीं की जाती हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान एएनएसएफ स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	5.25	5.25
2022-23	15.00	14.49
2023-24	6.95	6.65
2024-25	8.78	7.68
2025-26	8.00	3.91

(ख) एवं (ग) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना के निर्माण और प्रतिभा पहचान की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है। तदनुसार, देशभर में फुटबॉल के लिए कुल 25 फुटबॉल मैदान, 55 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) और 25 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियां (केआईएए) स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, फुटबॉल भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त खेल विधाओं में से एक है। इन स्कीमों के अंतर्गत चयनित एथलीटों को स्वीकृत स्कीम मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें आवास और भोजन, योग्य कोच द्वारा कोचिंग, खेल विज्ञान एवं चिकित्सा सहायता, खेल उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना, खेल मैदान संबंधी सुविधाएं, शिक्षा, प्रतियोगिता एक्सपोजर तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं। वर्तमान में, देशभर में साई के विभिन्न केंद्रों में फुटबॉल खेल विधा के 527 एथलीटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विशिष्ट खेल विधाओं के संवर्धन एवं विकास, जिसमें प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और सुधारात्मक उपाय करना भी शामिल है, की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) की होती है। इसके अतिरिक्त, फुटबॉल टीमों की रैंकिंग परिवर्तनशील होती है और मैचों के परिणाम, विपक्षी टीम की क्षमता तथा मैचों की संख्या पर निर्भर करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत स्वायत्त निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) खेलों के प्रदर्शन और समग्र विकास की समीक्षा करने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करता है तथा तदनुसार परामर्श प्रदान करता है।

अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं, जिनमें ओलंपिक, एशियाई खेल आदि जैसी प्रमुख खेल स्पर्धाएं भी शामिल हैं, के लिए खिलाड़ियों/टीमों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण, प्रतियोगिता एक्सपोजर, विदेशी कोच

सहित कोच एवं सहायक स्टाफ, प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) की योजनाओं/प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाता है और उन्हें वार्षिक प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता कैलेंडर (एसीटीसी) के रूप में अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि एएनएसएफ के अंतर्गत उन पर विचार किया जा सके।
